

झारखण्ड सरकार  
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

**विषय:-** लक्षित जन वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्यकरण हेतु सतर्कता समितियों के गठन की स्वीकृति के संबंध में।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो झारखण्ड राज्य में लागू होने जा रहा है, के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्यकरण को तथा ऐसी प्रणाली में, कृत्यकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, प्रखण्ड स्तरीय शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय सतर्कता समितियों के गठन के संबंध में अधिनियम की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अधीन किये गये सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित सतर्कता समितियों (Vigilance Committees) का गठन तुरंत के प्रभाव से ऐसे व्यक्तियों से मिलाकर किया जाता हैं जो स्थानीय प्राधिकारियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, महिलाओं और निराश्रित व्यक्तियों या निःशक्त व्यक्तियों का सम्यक प्रतिनिधित्व देते हुए राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायेंगे और तदनुसार पूर्व से गठित समस्त वितरण-सह-निगरानी समितियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर (विभागीय अधिसचूना संख्या 1284, दिनांक 02.04.2013 को रद्द करते हुए) निम्नवत् गठन कियां जाता हैं :—

**(2) राज्य स्तरीय सतर्कता समिति**

- |        |  |               |
|--------|--|---------------|
| (i)    | मंत्री, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।       | — अध्यक्ष।    |
| (ii)   | मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग।   | — सदस्य।      |
| (iii)  | मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग।                                      | — सदस्य।      |
| (iv)   | मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।             | — सदस्य।      |
| (v)    | मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग।                              | — सदस्य।      |
| (vi)   | मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।                              | — सदस्य।      |
| (vii)  | मंत्री, महिला, बाल विकास एवं समाजिक सुरक्षा विभाग।                     | — सदस्य।      |
| (viii) | मंत्री, कल्याण विभाग।  | — सदस्य।      |
| (ix)   | सांसद - 02 (दो)<br>(विभाग द्वारा मनोनीत)                               | — सदस्य।      |
| (x)    | विधायक - 05 (पाँच)<br>(विभाग द्वारा मनोनीत)                            | — सदस्य।      |
| (xi)   | प्रधान सचिव / सचिव<br>खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग। | — सदस्य सचिव। |

०५/११/१५

(xii)	प्रधान सचिव / सचिव ग्रामीण विकास विभाग।	- सदस्य।
(xiii)	प्रधन सचिव / सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग।	- सदस्य।
(xiv)	प्रधान सचिव / सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	- सदस्य।
(xv)	प्रधान सचिव / सचिव कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	- सदस्य।
(xvi)	प्रधान सचिव / सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।	- सदस्य।
(xvii)	प्रधान सचिव / सचिव महिला, बाल विकास एवं समाजिक सुरक्षा विभाग।	- सदस्य।
(xviii)	प्रधान सचिव / सचिव कल्याण विभाग।	- सदस्य।
(xix)	विभाग द्वारा मनोनीत 20 (बीस) व्यक्ति जिसमें प्रत्येक प्रमण्डल से एक-एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग का सदस्य अवश्य हों।	- सदस्य।
(xix)	विभाग द्वारा मनोनीत निःशक्ति / निःसहाय वर्ग का एक व्यक्ति।	- सदस्य।
(xx)	विभाग द्वारा मनोनीत 02 (दो) जन वितरण प्रणाली विक्रेता।	- सदस्य।
(3)	जिला स्तरीय सतर्कता समिति	
(i)	जिला के प्रभारी मंत्री	- अध्यक्ष।
(ii)	जिला परिषद् के अध्यक्ष	- सदस्य।
(iii)	जिला पदाधिकारी	- सदस्य सचिव।
(iv)	पुलिस अधीक्षक	- सदस्य।
(v)	जिला आपूर्ति पदाधिकारी	- सदस्य।
(vi)	जिला के सभी अनुमण्डल पदाधिकारी	- सदस्य।
(vii)	जिला परिषद् के उपाध्यक्ष एवं सभी सदस्य	- सदस्य।
(viii)	जिला अन्तर्गत सभी नगर निकाय के अध्यक्ष	- सदस्य।
(ix)	जिला के सभी सांसद एवं क्षेत्रीय विधायक	- सदस्य।
(x)	विभाग द्वारा मनोनीत 6 (छ:) व्यक्ति जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग का एक-एक सदस्य अवश्य हों।	- सदस्य।

C/19115

- (xi) विभाग द्वारा मनोनीत  
निःशक्ति/निःसहाय वर्ग का एक व्यक्ति। – सदस्य।
- (xii) विभाग द्वारा मनोनीत 02 (दो)  
जन वितरण प्रणाली विक्रेता – सदस्य।
- (4) प्रखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति
- (i) प्रखण्ड के प्रमुख – अध्यक्ष।
  - (ii) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी – सदस्य सचिव।
  - (iii) प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी – सदस्य।
  - (iv) नगर परिषद्/नगर पंचायत के अध्यक्ष – सदस्य।
  - (v) प्रखण्ड के उप प्रमुख तथा  
पंचायत समिति के सभी सदस्य – सदस्य।
  - (vi) सांसद एवं क्षेत्रीय विधायक – सदस्य।
  - (vii) जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत  
6 (छ:) व्यक्ति जिसमें अनुसूचित जाति,  
अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग का एक-एक सदस्य  
अवश्य हों। – सदस्य।
  - (viii) जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत  
निःशक्ति/निःसहाय वर्ग का एक व्यक्ति। – सदस्य।
  - (ix) जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत 02 (दो)  
जन वितरण प्रणाली विक्रेता – सदस्य।
- (5) शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीय (जन वितरण प्रणाली विक्रेता) सतर्कता समिति
- (i) नगर निगम/नगर परिषद्/  
नगर पंचायत के वार्ड पार्षद – संयोजक
  - (ii) वार्ड के निकटतम वोटो से पराजित वार्ड  
पार्षद का उम्मीदवार – सदस्य।
  - (iii) जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत  
6 (छ:) व्यक्ति जिसमें अनुसूचित जाति,  
अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग का एक-एक सदस्य  
अवश्य हों। – सदस्य।
  - (viii) जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत  
निःशक्ति/निःसहाय वर्ग का एक व्यक्ति। – सदस्य।
- (6) पंचायत स्तरीय (जन वितरण प्रणाली विक्रेता) सतर्कता समिति।
- (i) पंचायत के मुखिया – संयोजक।
  - (ii) पंचायत के सरपंच – सदस्य।

- (iii) पंचायत के निकटतम वोटो से पराजित मुखिया के उम्मीदवार — सदस्य।
- (iv) पंचायत के निकटतम वोटो से पराजित सरपंच के उम्मीदवार — सदस्य।
- (v) सभी वार्ड सदस्य — सदस्य।
- (vi) सभी पंच — सदस्य।
- (vii) जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत 6 (छ.) व्यक्ति जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग का एक-एक सदस्य अवश्य हो। — सदस्य।
- (viii) जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत निःशक्ति/निःसहाय वर्ग का एक व्यक्ति। — सदस्य।
- (ix) मुखिया की अनुपस्थिति में पंचायत के उप मुखिया संयोजक के रूप में कार्य करेंगे। — सदस्य।
- (7) (क) राज्य स्तरीय सतर्कता समिति के कार्य एवं दायित्व।
- (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन सभी योजनाओं के कार्यान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण कराना।
  - (ii) इस अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के संबंध में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना।
  - (iii) किसी अनाचार या निधियों के दुर्विनियोग के संबंध में, जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना,
  - (iv) लक्षित जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत कार्यान्वयन योजनाओं के सम्पूर्ण क्रियाकलापों एवं इसकी सुलभ क्रियाशील में आने वाली समस्याओं/बाधाओं की त्रैमासिक समीक्षा करना,
  - (v) समिति/इसके सदस्य, जन वितरण प्रणाली दुकान एवं विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यालयों का दौर कर सकती है। एवं योजना के लाभुकों से सम्पर्क कर सकती है। इस परिपेक्ष्य में समिति लक्षित जन वितरण प्रणाली योजना के सफल कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं और उसके निदान हेतु राज्य सरकार को अनुशंसा करेगी।
  - (vi) यदि किसी मुद्दे पर केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में निर्णय अपेक्षित हो तो राज्य स्तरीय सतर्कता समिति सुधारात्मक कार्रवाई के लिए केन्द्र सरकार को अनुशंसा कर सकती है।
  - (vii) समिति की बैठक आयोजित करने का दायित्व समिति के अध्यक्ष का होगा।

०१/११८

(ख) जिला स्तरीय सतर्कता समिति के कार्य एवं दायित्व।

- (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन सभी योजनाओं के कार्यान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण कराना।
- (ii) इस अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के संबंध में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना।
- (iii) किसी अनाचार या निधियों के दुर्विनियोग के संबंध में, जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना,
- (iv) जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत वितरित होने वाली विभिन्न योजनाओं यथा:- खाद्यान्न, किरासन तेल आदि के सम्मय उठाव एवं वितरण की समीक्षा करना,
- (v) राज्य खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के उठाव एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से लाभुकों के बीच इसके वितरण की समीक्षा करना तथा इसमें उत्पन्न कठिनाईयों की समीक्षा कर सरकार द्वारा निर्धारित नीति के तहत उस पर निर्णय लेना।
- (vi) समिति की बैठक आयोजित करने का दायित्व समिति के अध्यक्ष का होगा।

(ग) प्रखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति के कार्य एवं दायित्व।

- (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन सभी योजनाओं के कार्यान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण कराना।
- (ii) इस अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के संबंध में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना।
- (iii) किसी अनाचार या निधियों के दुर्विनियोग के संबंध में, जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना,
- (iv) प्रखण्ड स्थित जन वितरण प्रणाली की दुकानों द्वारा उपभोक्ताओं के बीच वितरण पर निगरानी रखना, खाद्यान्न, किरासन तेल आदि उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा एवं दर पर उपलब्ध कराना,
- (v) समिति की बैठक आयोजित करने का दायित्व समिति के अध्यक्ष का होगा।

(घ) शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय सतर्कता समिति के कार्य एवं दायित्व।

- (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन सभी योजनाओं के कार्यान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण कराना।
- (ii) इस अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के संबंध में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना।

- (iii) किसी अनाचार या निधियों के दुर्विनियोग के संबंध में, जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना,
- (iv) वार्ड/पंचायत में स्थित जन वितरण प्रणाली की दुकानों द्वारा उपभोक्ताओं के बीच वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न, किरासन तेल आदि का उठाव एवं वितरण पर निगरानी रखना,
- (v) जन वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण होने वाले खाद्यान्न, किरासन तेल आदि उपभोक्ताओं के निर्धारित मात्रा एवं दर पर उपलब्ध कराना,
- (vi) समिति की बैठक आयोजित करने का दायित्व समिति के संयोजक का होगा।
- (vii) जन वितरण प्रणाली के दुकानदार द्वारा खाद्यान्न, किरासन तेल आदि के उठाव एवं वितरण से संबंधित सूचना समस्य समिति के संयोजक को उपलब्ध कराना,
- (8) सतर्कता समिति के अध्यक्ष/संयोजक या सरकार ऐसे किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी:-
- (क) जो दिवालिया है या किसी समय दिवालिया अधिनिर्णीत किया गया है, या
- (ख) जो सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असमर्थ हो, या
- (ग) जिसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो जो राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है, या
- (घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया हो, जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, या
- (ङ) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित में हानिकारक हो।
9. ऐसे किसी अध्यक्ष/संयोजक या सदस्य को उक्त कंडिका-08 (घ) या (ङ) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।
10. राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय सतर्कता समितियों का गठन कर विभाग द्वारा अधिसूचना निर्गत की जायेगी। अन्य समितियों के गठन की अधिसूचना जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत की जायेगी।
11. उपर्युक्त सतर्कता समितियों का कार्यकाल 03 (तीन) वर्षों का होगा। प्रत्येक तीन माह पर समिति की बैठक अवश्य आयोजित की जायेगी।
12. समिति के पदों के रिक्त रहने के कारण उसके कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

13. उपर्युक्त व्यवस्था से संबंधित भविष्य में किसी प्रकार के मार्ग-निर्देश उपलब्ध कराने का दायित्व सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग का होगा।

उपरोक्त के संलेख पर मंत्रिपरिषद की दिनांक 25.08.2015 की बैठक के मद संख्या-7 में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(विनय कुमार चौबे)  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- खा०आ०-04/वित्त-सह-निग०-01/2012 4258 /राँची, दिनांक- 02-09-15

प्रतिलिपि—महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड के कोषांग/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड/सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप निदेशक (खाद्य)/सभी जिला अपर दण्डाधिकारी (आपूर्ति)/सभी विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम/सभी पदाधिकारी, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- खा०आ०-04/वित्त-सह-निग०-01/2012 4358/राँची, दिनांक- 02-09-15

प्रतिलिपि— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस अधिसूचना को सार्वजनिक जानकारी हेतु झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में मुद्रित किया जाय। अधिसूचना को मुद्रित कर 200 प्रतियों में विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- खा०आ०-04/वित्त-सह-निग०-01/2012 4359/राँची, दिनांक- 02-09-15

प्रतिलिपि— संकल्प में उल्लेखित सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।